

3.7.1.2 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर-दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014-15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रूप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में शामिल किया गया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोड़ा, गधा, ऊँट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11168, वर्ष 2015-16 में 37486, वर्ष 2016-17 में 59113, वर्ष 2017-18 में 38219, वर्ष 2018-19 में 52908, वर्ष 2019-20 में 52704 एवं वर्ष



The infographic features a green header with a circular logo at the top center. Below the logo, the title 'पशुधन की वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि' is written in white. Underneath, the subtitle 'पशुधन बीमा योजना-' is displayed. A list of three bullet points in white text provides details about the scheme. At the bottom, two hands are shown holding a central cluster of seven hexagonal images, each depicting a different type of livestock: a brown cow, a brown horse, a grey donkey, a white goat, a pig, a black buffalo, and a yellow rabbit.

पशुधन की वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि

पशुधन बीमा योजना-

- योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल हैं।
- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।
- एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर किया जाता है।

जिसने भी पशुधन का बीमा कराया उसने निश्चितता के साथ लाभ कमाया



मध्य प्रदेश सरकार

पशुधन बीमा योजना

अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3 सालों में बीमा कंपनी को 6.949 करोड़ का प्रीमियम भुगतान किया गया है।

हितग्राहियों को अब तक 20.21 करोड़ रुपये दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।



किसान पशुधन बीमा योजना



अब किसान पशुपालन अपना कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

- 1 हितग्राही 5 पशुओं का बीमा करा सकता है।
- मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना सभी जिलों में लागू है।
- योजना की क्रियान्वयन इकाई म.प्र. पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हैं।



पशुधन की वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि

पशुधन बीमा योजना

प्रीमियम पर अनुदान

- गरीबी रेखा के ऊपर वाले हितग्राहियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश और राज्यांश 25-25 प्रतिशत शामिल है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश 40 प्रतिशत और राज्यांश 30 प्रतिशत शामिल है।